"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 858] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025 — कार्तिक 20, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

आदेश

क्रमांक एफ 1–3/2024/रास/यू–9. – छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा Prof. (Dr.) Rajendra Lakpale, Professor and Director Farms (Farms and Seeds), Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

2. Prof. (Dr.) Rajendra Lakpale का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें, उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.